A-592/2023

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

पृ. क्र. .....
नस्ती क्र. (17)

विषय : विनय जी डेविड

क. ए–592/2023/जबलपुर/15885 भोपाल,दिनांक 18-11-25

प्रतिलिपि–

1. श्री विनय जी डेविड
पता–1293,बाई का बगीचा,तीसरी गली,
घमापुर,जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

2. लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर
वीरागंना रानी दुर्गावती खेल परिसर रानीताल जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

3. श्री आशीष पाण्डे
तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी
संभागीय खेल अधिकारी,
कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

4. अपीलीय अधिकारी
जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

5. लोक प्राधिकारी
प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन,
खेल एवं युवा कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल
जिला–भोपाल (म.प्र.)

प्रचारक
जबलपुर संभाग
म0प्र0राज्य सूचना आयोग भोपाल

A-592/2023

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

प. क्र. (6)

नस्ती क्र.

विषय : विनय जी डेविड

ए–592/2023
दिनांक 23.10.2025

आशीष पाण्डेय
23/10/2025
23/10/2025

अपीलार्थी श्री विनय जी डेविड ऑनलाईन/मोबाईल पर सुनवाई में उपस्थित।

तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय– जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला– जबलपुर अपने अधिवक्ता श्री रविकांत पाटीदार के साथ उपस्थित।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (एतद् पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 6 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनाँक 05.09.2022 के माध्यम से निम्न जानकारी चाही गई थी:–

1. मध्य प्रदेश तीरदांजी एकेडमी में 01 अप्रेल 2016 से आज दिनांक 05/09/22 तक का स्टॉक रजिस्टर ही प्रमाणित प्रतियां।
2. उक्त अवधि में खेल सामग्री एवं उपकरण के स्टाक की सपूर्ण (जानकारी सूची)।
3. स्टाक मेन्टमेन्स रख रखाव अधिकारी के नाम पद आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉ।
4. सचालक खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा उक्त अवधि में कितने उपकरण/सामग्री प्रदान की गई, आदेशों की प्रतिया सूची सहित एवं समस्त बिल बाउचर आंवटन की प्रमाणित प्रतियाँ। डिलीवरी चालान की रसीद की प्रमाणित प्रतियां।
5. किन–किन छात्र–छात्राओं को उपकरण आवंटित किये गये, उनके नाम, पता, सूची की प्रमाणिता प्रतियॉ।

प्रकरण में आयोग के आदेश दिनांक 29.08.2025 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया गया था कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05.09.2022 में चाही गई जानकारी संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा यदि वांछित जानकारी के किसी भाग से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो

तदाशय की स्पष्ट लिखित सूचना अपीलार्थी को प्रदाय करना सुनिश्चित करे।

इसके अतिरिक्त– लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त करने की स्थिति के दृष्टिगत उल्लेखित किया गया कि सामान्यतः आम नागरिक को यह ज्ञात नहीं होता कि कार्यालय में भुगतान किस अधिकारी के नाम देय होगा, इसलिए उक्त संभावना के दृष्टिगत ही आवेदक द्वारा पोस्टल ऑर्डर में प्रस्तुत करने वाले के स्थान पर अपना नाम तो उल्लेखित किया गया था परन्तु भुगतान पाने वाले का स्थान रिक्त रखा गया था। लोक सूचना अधिकारी सदभावी कार्यवाही कर उक्त स्थान पर भुगतान प्राप्त करने वाले अधिकारी/ कार्यालय का नाम उल्लेखित करवा सकते थे तथा अधिनियम के अनुसार सहयोग करने का उनका दायित्व है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 05.09.2022 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया है, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन **लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी**, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

आज दिनॉक 23.10.2025 को नियत सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके आवेदन दिनांक 05.09.2022 के संबंध में पोस्टल ऑर्डर में प्राप्तकर्ता एवं अदाता के नाम की कमी की पूर्ति किए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा न ही कोई लिखित सूचना दी गई थी और न ही मौखिक रूप से अवगत कराया गया, जबकि वह बार–बार लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जाकर जानकारी दिए

A-592/2023

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

पृ. क्र. (8)

नस्ती क्र. .....

विषय : विनय जी डेविड

जाने का निवेदन करते रहे। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी की प्रकरण में जानकारी देने की मंशा नहीं थी।

तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा पत्र दिनॉक 23.10.2025 के माध्यम से लिखित पक्ष प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि प्रकरण में आयोग के आदेश दिनांक 29.08.2025 के पालन में उनके द्वारा पत्र क्रमांक 1338 दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को जानकारी प्रेषित की जा चुकी है।

साथ ही कारण बताओ सूचना–पत्र के उत्तर में निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किये गये कि :–

1. आवेदक श्री विनय डेविड द्वारा आवेदन के साथ भारतीय पोस्टल आर्डर में प्राप्तकर्ता (आदाता) वाला कॉलम रिक्त छोड़ दिया गया था। आवेदन कर्ता के द्वारा भारतीय पोस्टल आर्डर में प्राप्तकर्ता (आदाता) वाला कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ना चहिये था और उनको यह अपने हाथो से स्वतः भरना था, परन्तु आवेदक ने भारतीय पोस्टल आर्डर में प्राप्तकर्ता (आदाता) वाला कॉलम रिक्त छोड़ दिया था। आवेदक श्री विनय डेविड को तुरंत मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया था कि आपके द्वारा आवेदन में लगे भारतीय पोस्टल आर्डर में प्राप्तकर्ता (आदाता) वाला कॉलम रिक्त छोड़ दिया है और साथ में यह भी अवगत कर दिया था कि आपके आवेदन की जानकारी कार्यालय मध्यप्रदेश तीरंदाजी अकादमी की है इसलिय आप मध्यप्रदेश तीरंदाजी अकादमी में आवेदन करे। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी श्री विनय डेविड प्रस्तुत आवेदन आवश्यक आवेदन शुल्क के साथ जमा नहीं होने के कारण तथा उक्त आवेदन जिला खेल अधिकारी के कार्यालय से संबंधित नहीं होने के

शाकेमुभो–495–असरासूआभो–24-1-24–50,000.

दिवस की समय सीमा के बाद प्रस्तुत की गई थी। तब भी माननीय महोदय मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी के मुख्य तकनीकी एवं मुख्य प्रशिक्षक सह प्रशासक को भी जानकारी प्रदाय के विषय में एवं उपलब्ध कराने के संबंध में पत्राचार किया गया था साथ ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भी पत्र प्रेषित कर दिया गया था। अतः माननीय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाना आवश्यक है कि आवेदक / अपीलार्थी के द्वारा अपील आवेदन अधिनियम में प्रदत समय सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया है।

5. मैं, जिला खेल अधिकारी के कर्तव्यों का सही से निर्वाहन कर रहा था। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी रहते हुये अकादमी का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर भी मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कार्यालय से संबंधित देयक का भुगतान नहीं किया जाता है। मेरे द्वारा सिर्फ मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी जानबूझकर जानकारी नहीं छुपाई गई है।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में इस बात पर बल दिया गया कि अपीलार्थी श्री विनय जी डेविड द्वारा आवेदन शुल्क हेतु प्रस्तुत भारतीय पोस्टल आर्डर में प्राप्तकर्ता (आदाता) वाला कॉलम रिक्त छोड़ दिया, इसलिए विधिवत निर्धारित फीस अदा किया जाना नहीं पाये जाने से पत्र दिनॉक 30.09.2022 के माध्यम से आवेदन निरस्त किया गया था। इस स्थिति में आवेदक/अपीलार्थी को जानकारी नहीं दिये जाने से समयावधि में जानकारी दिये जाने में बाधा नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के न्याय दृष्टांत माननीय केन्द्रीय

A-592/2023

पृ. क्र. (11)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

नस्ती क्र.

विषय : विनय जी डेविड

सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/02/2013 (ललित किशोर डागर विरूद्ध आई.ओ.सी.एल. एवं आदेश दिनांक 25/11/2021 पी. मनजूला रानी विरूद्ध केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) 2021 एस. सी. सी. ऑनलाईन सी.आई.सी. 15814 पेश किया है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो श्री ललित किशोर डागर के मामले में पोस्टल ऑर्डर में Payee (भुगतान प्राप्त करने वाले) का नाम नहीं होने से उक्त पोस्टल ऑर्डर को वापस कर दिया गया था और सुश्री मंजूला रानी के मामले में इन बिंदुओं पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी श्री विनय जी डेविड ने जो पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया था। उस पर Sender (प्रस्तुत/भुगतान करने वाले) का नाम अंकित था जिसके संबंध में आवेदक/अपीलार्थी श्री विनय जी डेविड द्वारा व्यक्त किया गया कि उन्हें यह जानकारी नहीं होने के कारण कि "किसके नाम से पोस्टल ऑर्डर देय होगा", इसलिए ऐसा पोस्टल ऑर्डर उनके द्वारा दिया गया था और उस पर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय द्वारा नाम भरा जा सकता था और संबंधित विभाग में पेश कर भुगतान प्राप्त किया जा सकता था। यदि पोस्टल ऑर्डर में कमी थी तो उसमें पूर्ति करने अथवा उसे वापस करने के लिए कोई लिखित कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी ने की हो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पर सदभावी कार्यवाही करते हुए पोस्टल आर्डर में "प्राप्तकर्ता(अदाता)" का नाम उल्लेखित करने हेतु आवेदक/अपीलार्थी को बिना कोई प्राथमिक मौखिक एवं लिखित सूचना दिये आवेदक/अपीलार्थी का सूचना का अधिकार से संबंधित आवेदन को पत्र दिनॉक 30.09.2022 के माध्यम से निरस्त कर दिया और आवेदन निरस्ती पत्र में नियमानुसार यह भी उल्लेखित नहीं किया कि उसे कितने दिन में एवं कहां प्रथम अपील करनी है, जबकि लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि

क्रमशः

कारण, चाही गयी जानकारी उपलब्ध करवाया जाना संभव नही था।

2. उपरोक्त के संबंध में लोक सूचना अधिकारी की ओर से माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/02/2013 (ललित किशोर डागर विरूद्ध आई.ओ.सी.एल. एवं आदेश दिनांक 25/11/2021 पी. मनजूला रानी विरूद्ध केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) 2021 एस. सी.सी. ऑनलाईन सी.आई.सी. 15814 की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। जहाँ पर मान. केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह माना कि आवेदक के द्वारा पोस्टल ऑर्डर में पेयी (प्राप्तकर्ता) का नाम/पदनाम नहीं लिखा जाने से आवेदन की फीस भुगतान नहीं मानी जा सकती। अतः मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है और कम से कम जानबूझकर तो कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

3. लोक सूचना अधिकारी का यह भी कहना है कि जब आवेदक श्री विनय डेविड द्वारा दिनांक 05/09/2022 आरटीआई आवेदन दिया गया था उस समय में प्रभारी मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। संचालनालय खेल और युवा कल्याण भोपाल मध्य प्रदेश पत्र क्रमांक 413/खेयुक/दिनांक 24/11/2022 में मुझे मध्य प्रदेश तीरंदाज अकादमी का अतरिक्त कार्य मिला तत्पश्चात् मेरे द्वारा पत्राचार कर जानकारी के बारे में अवगत करा दिया गया था।

4. आवेदक श्री विनय डेविड द्वारा प्रथम अपील दिनाकं 02/11/2022 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की गई थी, जो कि मेरे पत्र दिनाकं 30/09/2022 से लगभग 30

यदि आम आदमी को पूरी जानकारी नहीं हो तो उसको सहयोग करें तथा यह स्पष्ट करें कि कितने दिनों में कहां अपील की जा सकती है, किन्तु इस मामले में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांड्ेय द्वारा सहयोग करना तो दूर अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं किया गया, इसलिए उपरोक्तानुसार न्याय दृष्टांत इस मामले में लागू नहीं होते हैं।

साथ ही लोक सूचना अधिकारी ने यह भी व्यक्त किया कि प्रथम बिंदु की जानकारी मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित थी जिसका प्रभार तत्समय उनके पास नहीं था, बल्कि दिनांक 24.11.2022 को प्रभार आया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिनॉक 05.09.2022 को पेश किया गया था, अतएव दिनांक 03.10.2022 तक उसका जवाब देना था। इस दौरान लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए–550/रा0सू0आ0/जबलपुर/2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनॉक 30.01.2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्ड्ेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

लोक सूचना अधिकारी के सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कर्तव्य/जिम्मेदारियों के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य/जिम्मेदारियों के पालन में असफल रहने पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत में निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया गया है :-

न्यायदृष्टांत J.P. Agrawal vs Union Of India & Ors.

on 4 August, 2011

W.P.(C) 7232/2009

मे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया है:-

8. Even otherwise, the very requirement of designation of a PIO entails vesting the responsibility for providing information on the said PIO. As has been noticed above, penalty has been imposed on the petitioner not for the reason of delay which the petitioner is attributing to respondent no.4 but for the reason of the petitioner having acted merely as a Post Office, pushing the application for information received, to the respondent no.4 and forwarding the reply received from the respondent no.4 to the information seeker, without himself "dealing" with the application and/or "rendering any assistance" to the information seeker. The CIC has found that the information furnished by the respondent no.4 and/or his department and/or his administrative unit was not what was sought and that the petitioner as PIO, without applying his mind merely forwarded the same to the information seeker. Again, as aforesaid the petitioner has not been able to urge any ground on this aspect. The PIO is expected to apply his / her mind, duly analyse the material before him / her and then either disclose the information sought or give grounds for non-disclosure. A responsible officer cannot escape his responsibility by saying that he depends on the work of his subordinates. The PIO has to apply his own mind independently and take the appropriate decision and cannot blindly approve / forward what his subordinates have done.

9. This Court in Mujibur Rehman Vs. Central Information Commission MANU/DE/0542/2009 held that information seekers are to be furnished what they ask for and are not to be driven away through filibustering tactics and it is to ensure a culture of information disclosure that penalty provisions have been provided in the RTI Act. The Act has conferred the duty to ensure compliance on the PIO. This Court in Vivek Mittal Vs. B.P. Srivastava MANU/DE/4315/2009 held that a PIO cannot escape his obligations and duties by stating that persons appointed under him had failed to collect documents and information; that the Act as framed casts obligation upon the PIO to ensure that the provisions of the Act are fully complied. Even otherwise, the settled position in law is that an officer entrusted with the duty is not to act mechanically. The Supreme Court as far back as in Secretary, Haila Kandi Bar Association Vs. State of Assam 1995 Supp. (3) SCC 736 reminded the high ranking officers generally, not to mechanically forward the information

collected through subordinates. The RTI Act has placed confidence in the objectivity of a person appointed as the PIO and when the PIO mechanically forwards the report of his subordinates, he betrays a casual approach shaking the confidence placed in him and duties the probative value of his position and the report.

10. Thus no fault can be found with the order of the CIC apportioning the penalty of '25,000/- equally between the petitioner and the respondent no.4.

11. There is thus no merit in the petition; the same is dismissed. No order as to costs.

न्यायदृष्टांत Rajesh Kumar Patel vs Chief Information Commission And Ors. ... on 13 September, 2019

WPC No. 7976 of 2011

मे माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया है:–

9. When the entire facts with order-sheets of second appeal are examined it shows that the information as sought for were supplied to the petitioner quite late. The entire series of fact would show that the application seeking information was given on 28.03.2009 by the petitioner, which was not supplied within the stipulated period of 30 days as contemplated under Section 7 (1) of the Act, 2005, which led to filing of appeal. The first appeal which was preferred under Section 19 (1) of the Act, 2005 was not decided as per Section 19 (6) of the Act, 2005 within a period of 45 days, which led to filing of second appeal on 28.05.2009. During the pendency of the second appeal, certain documents were given intermittently. The appellant though was supplied with information but was not satisfied and therefore, the commission directed to supply the correct documents, which was agreed by the respondent. Eventually, the supply of requisite information was finally concluded on 03.02.2011 to the satisfaction of the petitioner. Therefore, the entire course would reveal that there has been almost delay of 23 months with respect to the information sought for and eventually satisfaction arrived by seeker. Section 20 (1) of the Act, 2005 is about the penalty, which purports that if the information is not provided or is incomplete or misleading or obstructed in any manner, the Commission may impose the penalty of Rs.250/- each day till the application is received or information is furnished, however, the penalty shall not exceed Rs.25000/-.

10. Admittedly, in this case, up till the filing of the second appeal, no information was supplied, however, the information when was supplied i.e. the copy of the cash-book, the petitioner contended that one copy was supplied twice. The commission therefore, on such examining the fact has directed to supply the certified copy of the cash-book. The days rolled by and eventually the final satisfaction arrived on 03.02.2011. Admittedly, there is considerable delay of about 23 months. The statutory requirement under sub-section (1) of Section 20, the legislation has used the word 'shall' for imposing penalty. However, the outer limit has been fixed of Rs.25000/-. In this case since the delay has been caused of about

23 months, as a result, the respondents No.2 & 3 would be required to pay penalty of Rs.25000/-, which may be imposed under sub- section (1) of Section 20 of the Act, 2005. In a result, it is directed that since the information was not provided as per the requirement of the statute, the respondent No.3 would be required to pay an amount of Rs.25000/- which shall be deposited with the treasury within a period of three months from the date of receipt of copy of this order.

11. Accordingly, the petition is allowed

उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्ड्ेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05.09.2022 में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्ड्ेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20(1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा–अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्ड्ेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय– जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला– जबलपुर पर रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे।

A-592/2023

पृ. क्र. (16.)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

नस्ती क्र. .....

विषय : विनय श्रीवास्तव

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि "सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल" को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद–"मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियॉ (0000)" में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट/चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

लोक प्राधिकारी– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म0प्र0 सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम–8(6)(तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा–पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान/बैंक ड्राफ्ट/नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन **लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)** जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजी जाये।

(ओंकार नाथ) 23/10/25
राज्य सूचना आयुक्त
23 अक्टूबर, 2025

प्रवाचक

शावेमुभो–495–असरासूआभो–24-1-24–50,000.

श्री आशीष पांडे
लोक सूचना अधिकारी
संभागीय खेल अधिकारी और
जिला खेल और युवा कल्याण
अधिकारी, जबलपुर